

# ANNEXURE

## III

# **Government Institute**

शासकीय महाविद्यालयांना संलग्नता प्रमाणपत्र  
मिळविण्याकरीता व संलग्नता प्रमाणपत्राचे  
नूतनीकरण करण्याकरीता महाराष्ट्र आरोग्य  
विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचेकडून आकारण्यात  
येणाऱ्या शुल्कातून सूट देणेबाबत.

### महाराष्ट्र शासन

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक.एमईडी-१०२३/प्र.क्र.३२१/शिक्षण-२

गो.ते.रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय रांकुल,

लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१

दिनांक:- १०/०८/२०२३

संदर्भ:-

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवस/ मआविधि/ संलग्नता शुल्क/ गाफ/  
२०२३/ २५८, दिनांक ०७/०८/२०२३.

प्रस्तावना:-

आरोग्य विज्ञानाचे वैद्यकीय, दंत, आयुष, फिजिओथेरेपी व नर्सिंग इत्यादी पदवी, पदव्युत्तर  
अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यासाठी राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना  
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांची संलग्नता प्राप्त करणे, संलग्नता प्रमाणपत्र मिळविणे व  
सदर प्रमाणपत्राचे दरवर्षी नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक असून सदर संलग्नता प्रमाणपत्र  
मिळविण्यासाठी व संलग्नता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी विद्यापीठास शुल्क अदा करावे लागते.  
सदर महाविद्यालयांमध्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा देखील  
समावेश आहे.

२. दरवर्षी विभागाच्या नियंत्रणाखालील विविध शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुष, फिजिओथेरेपी,  
नर्सिंग इत्यादी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना नविन संलग्नता प्रमाणपत्राकरीता व नूतनीकरणाकरीता  
मोठ्या प्रमाणावर विद्यापीठास रक्कम अदा करावी लागते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरोग्य  
विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीचे शुल्क हे खाजगी/ विनाअनुदानित/ अभिमत विद्यापीठांच्या तुलनेत  
अतिशय जगण्य असून सदर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे शिक्षण  
देण्याकरीता आवश्यक असणारा खर्च प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या शासनामार्फत करण्यात येत असतो.



महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील कलम ५ (डब्ल्यूडब्ल्यू) नुसार शासनास प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विभागाच्या नियंत्रणाखालील विविध शासकीय आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचेकडून संलग्नता प्रमाणपत्र मिळविण्याकरीता व संलग्नता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण/ विस्तारीकरण करण्याकरीता विद्यापीठाकडून आकारण्यात येणा-या संलग्नीकरण शुल्कातून याद्वारे सूट देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

1. 2019-2020 2020-2021 2021-2022  
 2. 2020-2021 2021-2022 2022-2023  
 3. 2021-2022 2022-2023 2023-2024  
 4. 2022-2023 2023-2024 2024-2025  
 5. 2023-2024 2024-2025 2025-2026  
 6. 2024-2025 2025-2026 2026-2027  
 7. 2025-2026 2026-2027 2027-2028  
 8. 2026-2027 2027-2028 2028-2029  
 9. 2027-2028 2028-2029 2029-2030  
 10. 2028-2029 2029-2030 2030-2031  
 11. 2029-2030 2030-2031 2031-2032  
 12. 2030-2031 2031-2032 2032-2033  
 13. 2031-2032 2032-2033 2033-2034  
 14. 2032-2033 2033-2034 2034-2035  
 15. 2033-2034 2034-2035 2035-2036  
 16. 2034-2035 2035-2036 2036-2037  
 17. 2035-2036 2036-2037 2037-2038  
 18. 2036-2037 2037-2038 2038-2039  
 19. 2037-2038 2038-2039 2039-2040  
 20. 2038-2039 2039-2040 2040-2041  
 21. 2039-2040 2040-2041 2041-2042  
 22. 2040-2041 2041-2042 2042-2043  
 23. 2041-2042 2042-2043 2043-2044  
 24. 2042-2043 2043-2044 2044-2045  
 25. 2043-2044 2044-2045 2045-2046  
 26. 2044-2045 2045-2046 2046-2047  
 27. 2045-2046 2046-2047 2047-2048  
 28. 2046-2047 2047-2048 2048-2049  
 29. 2047-2048 2048-2049 2049-2050  
 30. 2048-2049 2049-2050 2050-2051  
 31. 2049-2050 2050-2051 2051-2052  
 32. 2050-2051 2051-2052 2052-2053  
 33. 2051-2052 2052-2053 2053-2054  
 34. 2052-2053 2053-2054 2054-2055  
 35. 2053-2054 2054-2055 2055-2056  
 36. 2054-2055 2055-2056 2056-2057  
 37. 2055-2056 2056-2057 2057-2058  
 38. 2056-2057 2057-2058 2058-2059  
 39. 2057-2058 2058-2059 2059-2060  
 40. 2058-2059 2059-2060 2060-2061  
 41. 2059-2060 2060-2061 2061-2062  
 42. 2060-2061 2061-2062 2062-2063  
 43. 2061-2062 2062-2063 2063-2064  
 44. 2062-2063 2063-2064 2064-2065  
 45. 2063-2064 2064-2065 2065-2066  
 46. 2064-2065 2065-2066 2066-2067  
 47. 2065-2066 2066-2067 2067-2068  
 48. 2066-2067 2067-2068 2068-2069  
 49. 2067-2068 2068-2069 2069-2070  
 50. 2068-2069 2069-2070 2070-2071  
 51. 2069-2070 2070-2071 2071-2072  
 52. 2070-2071 2071-2072 2072-2073  
 53. 2071-2072 2072-2073 2073-2074  
 54. 2072-2073 2073-2074 2074-2075  
 55. 2073-2074 2074-2075 2075-2076  
 56. 2074-2075 2075-2076 2076-2077  
 57. 2075-2076 2076-2077 2077-2078  
 58. 2076-2077 2077-2078 2078-2079  
 59. 2077-2078 2078-2079 2079-2080  
 60. 2078-2079 2079-2080 2080-2081  
 61. 2079-2080 2080-2081 2081-2082  
 62. 2080-2081 2081-2082 2082-2083  
 63. 2081-2082 2082-2083 2083-2084  
 64. 2082-2083 2083-2084 2084-2085  
 65. 2083-2084 2084-2085 2085-2086  
 66. 2084-2085 2085-2086 2086-2087  
 67. 2085-2086 2086-2087 2087-2088  
 68. 2086-2087 2087-2088 2088-2089  
 69. 2087-2088 2088-2089 2089-2090  
 70. 2088-2089 2089-2090 2090-2091  
 71. 2089-2090 2090-2091 2091-2092  
 72. 2090-2091 2091-2092 2092-2093  
 73. 2091-2092 2092-2093 2093-2094  
 74. 2092-2093 2093-2094 2094-2095  
 75. 2093-2094 2094-2095 2095-2096  
 76. 2094-2095 2095-2096 2096-2097  
 77. 2095-2096 2096-2097 2097-2098  
 78. 2096-2097 2097-2098 2098-2099  
 79. 2097-2098 2098-2099 2099-2100  
 80. 2098-2099 2099-2100 2100-2101  
 81. 2099-2100 2100-2101 2101-2102  
 82. 2100-2101 2101-2102 2102-2103  
 83. 2101-2102 2102-2103 2103-2104  
 84. 2102-2103 2103-2104 2104-2105  
 85. 2103-2104 2104-2105 2105-2106  
 86. 2104-2105 2105-2106 2106-2107  
 87. 2105-2106 2106-2107 2107-2108  
 88. 2106-2107 2107-2108 2108-2109  
 89. 2107-2108 2108-2109 2109-2110  
 90. 2108-2109 2109-2110 2110-2111  
 91. 2109-2110 2110-2111 2111-2112  
 92. 2110-2111 2111-2112 2112-2113  
 93. 2111-2112 2112-2113 2113-2114  
 94. 2112-2113 2113-2114 2114-2115  
 95. 2113-2114 2114-2115 2115-2116  
 96. 2114-2115 2115-2116 2116-2117  
 97. 2115-2116 2116-2117 2117-2118  
 98. 2116-2117 2117-2118 2118-2119  
 99. 2117-2118 2118-2119 2119-2120  
 100. 2118-2119 2119-2120 2120-2121  
 101. 2119-2120 2120-2121 2121-2122  
 102. 2120-2121 2121-2122 2122-2123  
 103. 2121-2122 2122-2123 2123-2124  
 104. 2122-2123 2123-2124 2124-2125  
 105. 2123-2124 2124-2125 2125-2126  
 106. 2124-2125 2125-2126 2126-2127  
 107. 2125-2126 2126-2127 2127-2128  
 108. 2126-2127 2127-2128 2

प्रति,

- पृष्ठ ३ पैकी २

६. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
७. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई
९. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई
१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई
११. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक
१२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
१४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई
१५. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई
१६. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई
१७. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक
१८. अधिष्ठाता (सर्व), शासकीय वैद्यकीय/ दंत/ आयुष/ फिजिओथेरेपी/ नर्सिंग महाविद्यालये  
(संचालनालयामार्फत)
१९. निवडनस्ती (शिक्षण-२)